Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाएं

डॉ. शाहेदा सिद्दीकी
प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

दीपिका गुप्ता
शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

ABSTRACT

सारांश :– स्वामी विवेकानन्द के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की प्रस्थिति है। यदि महिला की स्थिति सुदृढ़ और सम्मान जनक है, तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। महिलाओं को सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति माना जाता है जिसके अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछले कुछ शताब्दियों में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। समसामयिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेतृत्व से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तक की भूमिका में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है। प्रस्तुत शोधपत्र में सामयिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं का विश्लेषण करना है।

पारिभाषिक शब्द :– सामयिक परिप्रेक्ष्य, अद्वितीय, नेतृत्व, सुदृढ़ एवं गतिशील आदि।

किसी भी देश की संस्कृति उसका इतिहास और भाव–भाषा वहाँ की महिला के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है। नारी समाज की रचनात्मक शाक्तिं है। उसके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है, उसके रुक जाने से देश थम जाता है। समाज की व्यवस्था, अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की सुदृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्तिं की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को महिलाएं जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वे अपने भीतर सारी व्यवस्थाओं को समेटे रहती हैं। महिलाएं साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी संख्या

लगभग पुरूषों के समान ही होती है। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की प्रस्थिति काफी उच्च रही है।[1]

महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया है। उन्होंने अपनी बौद्धिकता एवं उच्च गुणों के कारण अपने परिवार को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचाकर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्याात्मिक, बौद्धिक एवं भौतिक दृष्टि से उन्नति महिला की गर्त में छिपी हुई है। नारी मानव सृष्टि के विकास की सर्वोत्तम सीढ़ी है। उसने ही गाँवों के उपेक्षित आँचल में अत्याचार भोग रही अपनी करोड़ों बहनों के भाग्य को स्त्रीशाक्तिं की पहचान कराके जगाया है। समाज की समस्याओं जैसे– बाल विवाह, दहेज प्रथा, निरक्षरता, अन्धविश्वास, असमानता, अस्पृश्यता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार आदि को महिलायें अपनी उत्कृष्टता के द्वारा ही मिटा सकती हैं। महिला के लिए अब कोई क्षेत्र वर्जित नहीं है। वह बस कन्डक्टर से लेकर पाइलट तक, शिक्षिका से लेकर अन्तरिक्ष विज्ञान तक के क्षेत्र में अपनी उपास्थिति बखूबी दर्शा रही है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने जितनी बड़ी संख्या में भाग लिया, उससे सिद्ध होता है कि समय आने पर महिलाएं प्रेम की पुकार को विद्रोह की हुँकार में तब्दील कर राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्य बनाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर सकती है। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल एवं क्राान्तिकारियों को सहयोग देने वाली अनेक महिलाओं ने भारत में जन्म लिया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाजशास्त्री पी.एन. प्रभू ने अपनी पुस्तक ``Hindi Social Organization'' में लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में भी महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नही था तथा दोनों की सामाजिक प्रस्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।[2]

समाजवैज्ञानिक के.एम. कपाड़िया ने अपनी पुस्तक ``Marriage and family in India'' में लिखा है कि स्त्री अपने घर की साम्राज्ञी होती थी।[3]

समाजशास्त्री ए.एस. अल्तेकर का मानना है कि वेद युगीन स्त्रियां समस्त अधिकारों की भोक्ता थी।[4] कालान्तर में सामाजिक आस्तित्व में आई सामाजिक रूढ़ियों ने नियम कानूनों से बंधकर धीरे–धीरे महिलाएं समाज में कमजोर हो गयी।

इतिहास साक्षी है कि जब–जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब–तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैत्रेयी, गार्गी विश्वपारा, केशा आदि महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान दिये हैं। आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, अरुन्धती राय आदि महिलाओं ने साहित्य तथा राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। रजिया सुल्ताना, रानी, लक्ष्मीबाई आदि महिलाओं ने प्रगति के मार्ग पर संघर्ष और सुनेतृत्व की स्पष्ट मूर्तियों के रूप में स्थापित हुई। कला के क्षेत्र में लतामंगेश्कर, वैजन्तीमाला, सुधाचन्द्रन, सोनल मानसिंह, मीरा आदि का योगदान प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, अभियाान्त्रिकी प्रशासन, रेलवे, अन्तरिक्ष आदि में नारियाँ सक्रिय एवं विकासोन्मुखी भूमिका निभा रही है। वर्तमान में नारियाँ–समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र उत्थान के लिए अनेक कार्यों में लगी है। वह लेखिका कवियित्री, पत्रकार, साहित्यकार, सम्पादिका, प्रशिक्षिका, वकील, जज, अध्यापिका, पुलिस सैनिक,

वायुयान पायलट, विमान परिचारिका, गुप्तचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिक, अंतरिक्षयात्री आदि बनकर सभी क्षेत्रों में अपनी कार्यक्षमता का उल्लेखनीय परिचय देकर देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रही है।

समसामयिक परिप्रेक्ष्य :–

लम्बे संघर्ष के बाद भारतीय नारियों ने समाज में अपने लिए कुछ जगह बनायी है। उनकी प्रस्थिति में बदलाव आ रहा है, बदलाव की दिशा सकारात्मक है, किन्तु इसकी गति अभी भी बहुत धीमी है। नारियाँ सफलता के उच्च सोपानों पर कदम बढ़ाने के उपरान्त भी वह असहाय एवं उपेक्षित होकर रह जाती है। आज भी उसे पुरुष समाज में अपनी पहचान तय करने एवं कायम रखने के लिये अनेक तरह की अपेक्षाओं हस्तक्षेपों एवं लांछनों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचारों का कभी न थमने वाला सिलसिला जारी है। महिलाओं पर अत्याचार एवं हिंसा सम्बन्धी प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रति 23 मिनट में अपहरण, प्रति 26 मिनट में उत्पीड़न, प्रति 42 मिनट में दहेज बलि, प्रति 54 मिनट में बलात्कार की घटनायें घटित हो रही है। महिलाओं के विरुद्ध मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में सर्वोपरि है। देश में स्त्रियों के प्रति बढ़ रहे हिंसा एवं अपराध के कारणों में जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, पारिवारिक संरचना, विवाह पद्धति, नातेदारी औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात् शिक्षा और संस्कृति, आधुनिकीकरण, बढ़ता उपभोक्तावाद आदि जैसे प्रमुख कारण है।

विगत् दशकों में महिला साक्षरता की स्थिति :–

वर्ष	भारत की कुल साक्षरता	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	लिंगानुपात
• 1951	18.33	8.86	946
• 1961	28.30	15.34	941
• 1971	34.45	21.97	930
• 1981	43.57	29.76	934
• 1991	52.21	39.29	927
• 2001	64.84	53.67	933
• 2011	73.0	64.6	943

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। लेकिन अभी भी कुल महिलाओं की आबादी का 64.6 प्रतिशत महिलायें साक्षर नहीं हो पायी है, जिनकी शिक्षा व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। साक्षर पुरुषों के मुकाबले साक्षर महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है। लिंगानुपात में 1951 के मुकाबले कमी पायी गयी है।[5]

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किये गये प्रयास :–

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु किये गये प्रयासों को अधोलिखित प्रकारों में समझा जा सकता है, यथा–

(I) संवैधानिक उपबंध :–

भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिाश्ंचित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को साम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद ओं में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकारें में परिलक्षित होती है–

- अनुच्छेद 14–राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल।
- अनुच्छेद 15–लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।
- अनुच्छेद 15(3)–महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण।
- अनुच्छेद 16–लोक नियोजन में अवसर की समानता।
- अनुच्छेद 19–विचार और अभिव्यात्किं की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21–प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 23–बलात्, बेगार और दुर्व्यवहार की मनाही।
- अनुच्छेद 24-14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही।
- अनुच्छेद 39–समन रूप से जीविका, समान वेतन एवं गरिमामय वातावरण का निर्माण।
- अनुच्छेद 42–काम की न्यायसंगत, मानवोचित दशाओं का निर्माण तथा प्रसूतिकाल में सहायता।
- अनुच्छेद 47–स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर में सुधार।
- अनुच्छेद 51 क (ङ)–महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रथाओं का त्याग एवं समरसता एवं भातृत्व की भावना का विकास।
- अनुच्छेद 243 घ–पंचायतों में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।
- अनुच्छेद 243 ve–बिना भेदभाव नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों की महिलाओं का आरक्षण।
- अनुच्छेद 325–भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।[6]

इन संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गई थी जिसे आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का

प्रयत्न किया गया। इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा कि आज महिला सशक्तीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु उपाय :–

1. महिला शिक्षा की दिशा में ठोस प्रयास किये जायें।
2. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाये।
3. बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद व्यवसाय परक शिक्षा दी जानी चाहिए।
4. इस क्षेत्र से जुत्रडे कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन हो, पुलिस एवं प्रशासन को इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाये।
5. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी रोक लगायी जाये, जिससे उसमें असुरक्षा की भावना कम हो एवं वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके।
6. ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु अलग से योजना का निर्माण किया जाये।
7. महिलाओं में जागृति लायी जाये और उसमें आत्मविश्वास जगाया जाये, जिससे वे अपने कर्तव्यों के साथ–साथ अधिकारों को भी समझे एवं उन्हें पाने के लिए सजग रहें।
8. उत्पीड़ित महिलाओं के सहायता हेतु सभी स्तरों पर संगठनों की स्थापना की जायें।[7]

समाज का असन्तुलित विकास आत्मविश्वास एवं विघटन को बढ़ावा देता है। यदि पतन से बचना है, तो नारी को वे सभी अधिकार एवं सुविधायें देनी होगी जिनकी वह अधिकारिणी है।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–</u>

1. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी. साहित्य भवन प्रकाशन, (2015) पृष्ठ–748
2. प्रभु पी.एन. हिन्दी सामाजिक संगठन, (2016), पृष्ठ–258
3. कपाड़िया के.एम. भारत में विवाह एवं परिवार (2010), पृष्ठ–25
4. अल्टेकर ए.एस. महिला में हिन्दू सभ्यता (2012) पृष्ठ–33
5. भारत की जनगणना, भारत सरकार (2011)
6. बसू डी.डी. भारत की संवैधानिक व्यवस्था (2014), पृष्ठ–52
7. www.wikipedia.com